

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 102/2026

थियेटर एवं फिल्म कल्याण संघ द्वारा सचिव श्री दबीर सिद्धिकी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, लखनऊ

एवं 9 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सबिता लाहिड़ी, सुमर्या किदवई

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ईशा सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सबिता लाहिड़ी, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 2, 4, 5 और 6 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री ईशा सिंह की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. यादव वारसी को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत एक रिट याचिका है जिसमें निम्नलिखित अनुतोषों की मांग की गई है:-

(1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए संबंधित विरोधी पक्षकारों को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कामकाज में वित्तीय अनियमितताओं, दुर्विनियोग, अपारदर्शी लेनदेन, आधिकारिक पद के दुरुपयोग और अन्य अवैधताओं के आरोपों की एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाए, विशेष रूप से इसके वित्त, खरीद, नियुक्तियों, अनुदानों, अनुबंधों और सार्वजनिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धन के उपयोग के संबंध में, जैसा कि याचिकाकर्ता की विरोधी पक्षकार संख्या 1 और 3 को दिनांक 11/12/2025 और 14/01/26 को की गई शिकायतों में उल्लेखित है और जो क्रमशः रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 6 और 8 में निहित है

अथवा, विकल्पस्वरूप,

यह निर्देश दिया जाए कि ऐसी जांच इस माननीय न्यायालय की देखरेख में गठित विशेष जांच दल के समान उपयुक्त स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्य सतर्कता विभाग/लोकायुक्त; या किसी अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी की जाए; जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों और न्याय के हित में उचित समझे।

(II) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए संबंधित विरोधी पक्षकारों को प्रासंगिक अवधि के लिए भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी प्रासंगिक खातों, अभिलेखों, अनुबंधों, संव्यवहारों, खरीद, प्राप्तियों और व्ययों का विधिवैज्ञानिक संपरीक्षा करने और उक्त संपरीक्षा आख्या को इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

(III) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए संबंधित विरोधी पक्षकारों को उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित दीवानी, आपराधिक और विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाए, जो जांच और संपरीक्षा आख्या के आधार पर वित्तीय कदाचार, भ्रष्टाचार, गबन, धोखाधड़ी, सार्वजनिक न्यास के उल्लंघन या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी पाए जाएं;

(IV) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए संबंधित विरोधी पक्षकारों को उत्तरदायी व्यक्तियों से उस सार्वजनिक धन की वसूली करने का निर्देश दिया जाए जिसे दुर्विनियोजित, अपयोजित या अविधिपूर्ण रूप से उपयोग किया हुआ पाया गया हो;

(V) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक संपरीक्षा तंत्र, वित्तीय नियंत्रण, पारदर्शिता मानदंडों और जवाबदेही उपायों को मजबूत करने सहित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रणालीगत और संस्थागत सुधारों के लिए उचित निर्देश जारी किये जाएं;"

3. जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है संस्था के शासी निकाय का इस जनहित याचिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को दायर करने के निर्णय से संबंधित कोई संकल्प नहीं है, इसलिए, हम इसकी अनुपस्थिति में इस रिट को खारिज करते हैं।

4. यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसमें सार्वजनिक हेतुक सम्मिलित है, जैसा कि दावा किया गया है, तो विधि की अन्य अपेक्षाओं की संतुष्टि के अधीन और उक्त रिट याचिका का विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित विरोधी पक्षकारों की आपत्तियों, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव अधिरोपित किये बिना नई रिट याचिका दायर की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

9 फरवरी, 2026

आर.के.पी.